



26

निगरानी 1134-PBR-107

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश भोपाल बैच।

प्रकरण निग./1/वर्ष-2014-15

ग्राम-बेरखेड़ी, तह. बुदनी, जिला सीहोर,

1. धनराज आत्मज श्री गोपी, आयु-वयस्क,
2. श्रीमति कांतिबाई पत्नि श्री माखन, आयु-वयस्क,
3. गोपाल आत्मज श्री शंकरलाल, आयु-वयस्क,
4. बंसत आत्मज भोगचन्द, आयु-वयस्क,
5. सेवाराम आत्मज श्रीराम, आयु-वयस्क,
6. श्यामलाल आत्मज श्री बाबूलाल, आयु-वयस्क,
7. जगदीश आत्मज श्री खेमचन्द, आयु-वयस्क,
8. दुर्गाप्रसाद व देवीराम आ. श्री राधेलाल, आयु-वयस्क,
9. रामेश्वर व रामदयाल आ. श्री खुशीलाल, आयु-वयस्क,
सभी निवासी-ग्राम बेरखेड़ी, तहसील- बुदनी,
जिला-सीहोर, मध्यप्रदेश।

174-
श्री अर्चना तिवारी
कृषि अधिकारी द्वारा आज
दि 20/5/15 को प्रस्तुत।

20/5/15

निगरानीकर्ता

11.5.15 को देकर
निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री नन्हेलाल, आयु-वयस्क,
निवासी- मीनाक्षी टाकीज के पास होशंगाबाद
2. श्रीमति रामदेवी पत्नि श्री कैलाश नारायण कीर,
आयु- वयस्क, कृषक ग्राम बेरखेड़ी, तहसील-बुदनी,
3. मध्यप्रदेश शासन, द्वारा तहसीलदार बुदनी,
जिला सीहोर, मध्यप्रदेश।

..... प्रति-निगरानीकर्ता

मध्यप्रदेश भू.रा.संहिता की धारा 50 के तहत निगरानी

माननीय महोदय,

विनम्र निवेदन है कि तहसीलदार तहसील- बुदनी के प्रकरण कमाक 53/अ-12/वर्ष 2014-15 में दिये आदेशानुसार दिनांक 09.01.2015 को भूमि खसरा कमाक 53/11/3, खसरा कमाक 53/11/4 एवं खसरा कमाक 53/11/5 का राजस्व निरीक्षक मण्डल बुदनी द्वारा सीमांकन किया गया। इस सीमांकन से असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय प्राप्ति हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। जो जानकारी के आधार पर समयावधि में है।

11/211

20/5
3-पंजा
15-5-15

15-5-15

M

